



प्रेस विज्ञप्ति

25.09.2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के तहत दिनांक 17.09.2026 को एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “अनापत्ति” जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

इस मामले में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर, फेमा के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा निम्नलिखित उल्लंघनों के संबंध में जांच प्रारंभ की गई थी, जिनका कंपाउंडिंग किया गया है:

- फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(A) का उल्लंघन करते हुए, फॉर्म एआरएफ में विदेशी आवक प्रेषण की रिपोर्टिंग में विलंब। इस उल्लंघन में शामिल राशि ₹6,22,95,502.50 है।
- फेमा 20(R)/2017-आरबी के विनियम 13.1(1) का उल्लंघन करते हुए, फॉर्म एआरएफ में विदेशी आवक प्रेषण की रिपोर्टिंग में विलंब। इस उल्लंघन में शामिल राशि ₹6,81,79,973.75 है।
- फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(B) का उल्लंघन करते हुए, फॉर्म एफसी-जीपीआर की रिपोर्टिंग में विलंब। इस उल्लंघन में शामिल राशि ₹6,22,95,461 है।
- फेमा 395/2019-आरबी के विनियम 4(1) का उल्लंघन करते हुए, फॉर्म एफसी-जीपीआर की रिपोर्टिंग में विलंब। इस उल्लंघन में शामिल राशि ₹94,47,633 है।
- फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(2) का उल्लंघन करते हुए, विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों की वार्षिक विवरणी (एफएलए) की रिपोर्टिंग में विलंब।
- फेमा 20(R)/2017-आरबी के विनियम 13.1(3) का उल्लंघन करते हुए, फॉर्म एफएलए की रिपोर्टिंग में विलंब।
- फेमा 395/2019-आरबी के विनियम 4(2) का उल्लंघन करते हुए, फॉर्म एफएलए की रिपोर्टिंग में विलंब।

तत्पश्चात, कंपनी ने उक्त उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। आरबीआई से संदर्भ प्राप्त होने पर, ईडी ने अधिनियम की वास्तविक भावना के अनुरूप उक्त कंपाउंडिंग के लिए अनापत्ति जारी की। तदनुसार, ईडी द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर आरबीआई ने दिनांक 17.09.2026 के कंपाउंडिंग आदेश के माध्यम से मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹1,77,310/- के एकमुश्त भुगतान पर उक्त उल्लंघनों का कंपाउंडिंग किया। इसके परिणामस्वरूप, जिन उल्लंघनों का कंपाउंडिंग किया गया है, उनके संबंध में जांच तथा आगे की कार्यवाही समाप्त हो गई है।